सं0-26/2023/1742/तीस-4-2023/30-4099(099)/63/2023

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 07 दिसम्बर, 2023

विषयः- सरकारी विभागों की पंद्रह वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निष्प्रयोज्य वाहनों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में (स्पष्टीकरण)।

महोदय,

परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के पत्र सं0-540प्रावि०/2023-टी-44टी०प्रावि०/2023, दिनांक 17.10.2023 के द्वारा शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि पंद्रह वर्ष एवं इससे अधिक पुराने सरकारी/अर्द्ध-सरकारी वाहनों को स्क्रैप कराये जाने के सम्बन्ध में अनेक विभागों में विभागीय मूल्य निर्धारक न होने तथा एमएसटीसी के सूचीबद्ध मूल्य निर्धारक द्वारा रिजर्व प्राइस निर्धारण हेतु लिए जाने वाला शुल्क बहुत अधिक होने के कारण विभागों को अपने वाहनों के एमएसटीसी पोर्टल पर नीलामी की कार्यवाही कराने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है, अतः उनके द्वारा उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-20/2023/805/तीस-4-2023/30-4099(099)/63/2023, दिनांक 08.06.2023 में रिजर्व प्राइस निर्धारण हेतु प्राविधानित सम्बंधित विभाग के विभागीय मूल्य निर्धारक अथवा विभाग द्वारा नामित मूल्य निर्धारक अथवा एमएसटीसी द्वारा सूचीबद्ध मूल्य निर्धारक की व्यवस्था के अतिरिक्त परिवहन विभाग के संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) को भी सम्मिलित किये जाने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है।

2- परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के उक्त अनुरोध पर सम्यक विचार-विमर्श कर निर्णय लिए जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 05.12.2023 को अपरान्ह 03:30 बजे उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के सभागार में बैठक संपन्न हुई, जिसमें विभागीय अधिकारियों के साथ एमएसटीसी के प्रतिनिधि भी सम्मिलित रहे। प्रश्नगत बैठक दिनांक 05.12.2023 में सम्यक-विचारोपरांत यह पाया गया कि प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 08.06.2023 में सरकारी विभागों की 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निष्प्रयोज्य वाहनों के मूल्यांकन का कार्य विभाग द्वारा नामित मूल्य निर्धारक के द्वारा भी कराये जाने का प्राविधान विद्यमान है। अतः परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के प्रश्नगत अनुरोध के क्रम में अलग से किसी शासनादेश के निर्गमन की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- उक्त के दृष्टिगत परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के प्रश्नगत अनुरोध/प्रस्ताव के आधारभूत समस्याओं के निदान हेतु मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 08.06.2023 के प्राविधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी/अर्द्ध-सरकारी वाहनों के रिजर्व प्राइस निर्धारण हेतु संबंधित विभाग के प्रस्ताव के क्रम में सम्बंधित जनपद के संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा सरकारी वाहनों के रिजर्व प्राइस निर्धारण हेतु प्राप्त सम्बन्धित विभाग के प्रस्ताव के क्रम में सम्बंधित जनपद के संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) को मूल्य निर्धारक नामित किया जा सकता है।

कृपया तदनुसार यथावश्यकता अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

संख्या-26/2023/1742(1)/तीस-4-2023/30-4099(099)/63/2023 एवं तद्दिनांक:-

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया वह अपने स्तर से समस्त सम्बंधित को इस शासनादेश के अनुपालनार्थ आदेशित करने का कष्ट करें।
5. मुख्य प्रबन्धक, मेटल स्क्रैप ट्रेड कार्पोरेशन (MSTC), भू-तल, CWC क्षेत्रीय कार्यालय परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010।
6. प्रबंध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम।
7. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (द्वारा परिवहन आयुक्त) ।
8. समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम (द्वारा प्रबंध निदेशक कार्यालय)।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग/सम्बंधित विभाग।
10. विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/7, उत्तर प्रदेश शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

वी0 के0 सोनकिया
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in